

मार्च 19, 2020

कार्यकारी आदेश 2020-09

कोविड-19 की प्रतिक्रिया में टैलीहेल्थ सेवाओं

के विस्तार और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की सुरक्षा के लिए कार्यकारी आदेश

(कोविड-19 कार्यकारी आदेश क्र. 7)

चूँकि, 2019 के अंत में, कोरोनावायरस बिमारी 2019 (कोविड-19) का एक नया और प्रभावशाली प्रकोप उभरा था; और,

चूँकि, कोविड-19 एक नई गंभीर प्रखर श्वास-प्रश्वास संबंधित बिमारी है जोकि श्वास-प्रश्वास के संचरण से लोगों में फैल सकती है और जिस में इंफ्लुएंज़ा से मिलते-जुलते लक्षण उपस्थित होते हैं; और,

चूँकि, कुछ जन समुदायों में कोविड-19 की वजह से गंभीर बिमारी होने की अधिक आशंका है, जिनमें वृद्ध वयस्क और लोग जिनको जटिल जीर्ण चिकित्सीय परिस्थितियाँ, जैसे कि हृदय रोग, मधुमेह, या फेफड़ों का रोग या दूसरी मानसिक और शारीरिक परिस्थितियाँ, शामिल हैं; और,

चूँकि, कोविड-19 को नियंत्रित करने के प्रयासों के बावजूद, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और सेंटरज़ आफ़ डिज़ीज़ कंट्रोल एंड प्रीवेंशन (CDC) के संघीय केंद्रों ने घोषणा की है कि इसके प्रसार की अपेक्षा है; और,

चूँकि, फिलहाल सीडीसी ने, कोविड-19 के प्रमाणित मामलों वाले समुदायों में अल्पीकरण के उपायों की सिफ़ारिश की है, जिसमें सामाजिक अलगाव, बिमार होने पर घर में रहना, या घर के किसी सदस्य के श्वास-प्रश्वास संबंधी लक्षणों सहित बिमार होने पर या सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों या एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा ऐसा करने के निर्देश पर घर में रहना, और अन्य बिमार लोगों से दूर रहना, शामिल हैं; और,

चूँकि, सामाजिक अलगाव, जिसमें लोगों में कम से कम छः फुट की दूरी बनाए रखना शामिल है, हमारे समुदायों में कोविड-19 के प्रसार को कम करने की सर्वोपरि रणनीति है; और,

चूँकि, सीडीसी, अनावश्यक स्वास्थ्य सेवा संबंधित दौरों को कम करने और स्वास्थ्यसेवा केंद्रों में श्वसन वायरस के संक्रमण को रोकने की आवश्यकता को ध्यान देते हुए, फिलहाल, स्वास्थ्य

सेवा प्रदाताओं से रोगियों के आकलन और देखभाल, और केंद्रों में सेवाप्राप्ति की अपेक्षा में आने वाले लोगों की मात्रा कम करने के लिए औपचारिक, या अन्यथा, टैलीहेल्थ प्रणाली के उपयोग में वृद्धि लाने का अनुग्रह करता है; और,

चूँकि, फिलहाल सीडीसी स्वास्थ्य योजनाएँ, स्वास्थ्य सेवा प्रणालियाँ, और बीमाकर्ताओं या अन्य भुगतानकर्ताओं से अनुग्रह करता है कि वे बीमाकृत टैलीहेल्थ, टैलीमैडीसिन, और नर्स एडवाइस लाईन सेवाओं की उपलब्धता के प्रोत्साहन के लिए लाभार्थियों को सूचना दें; और,

चूँकि, कोविड-19 के प्रकोप, जो कि एक राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा है, की प्रतिक्रिया में इलिनोइस मेंटल हेल्थ एंड डिवैलपमेंटल डिसिबिलिटीस कॉन्फ़ीडेंशियैलिटी एक्ट, 740 ILCS 110, (*Mental Health and Developmental Disabilities Confidentiality Act 740 ILCS 110*) के अधीन बीमाकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदाता और संस्थाएँ दूरस्थ संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग रोगियों से संपर्क करने और टैलीहेल्थ सेवाएँ प्रदान करने हेतु कर सकते हैं, और इनमें से कुछ प्रौद्योगिकियाँ और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और बीमाकृत संस्थाओं के द्वारा उनके उपयोग करने का ढंग वैधानिक अपेक्षाओं का पूर्णतः अनुपालन नहीं कर सकते; और,

चूँकि, यूएस के डिपार्टमेंट आफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसिस आफिस आफ सिविल राईटज़ ने कोविड-19 की प्रतिक्रिया में टैलीहेल्थ की दूरस्थ संचार-व्यवस्था के लिए एक नोटिस आफ इनफ़ोर्समेंट डिसक्रेशन जारी किया है, जो अस्थाई रूप से गैर-सार्वजनिक फ़ेसिंग संचार-व्यवस्था के आडियो और वीडियो उत्पादों का विस्तार करता है, जिनका उपयोग 1996 के संघीय हेल्थ इन्शोरेंस प्रोबेबिलिटी एंड अकाउंटैबिलिटी एक्ट (*Health Insurance Probability and Accountability Act of 1996*) के अंतर्गत प्रवर्तन कार्यवाहियों के अधीन हुए बगैर टैलीहेल्थ सेवाएँ प्रदान करने में किया जा सकता है; और,

चूँकि, वर्तमान परीक्षण उपलब्धता ने संपूर्ण इलिनोइस राज्य में प्रमाणित किए गए मामलों में अतिरिक्त विस्तार की पुष्टि की है, और अपेक्षा की जाती है कि बढ़ी हुई परीक्षण क्षमता यह दर्शा सकती है कि कोविड-19 का संक्रमण इलिनोइस भर के उन समुदायों में फैल रहा है जिन्होंने अभी तक किसी भी मामले की पहचान नहीं की है; और,

चूँकि, कोविड-19 के फैलते प्रसार और वायरस से जनता के स्वास्थ्य और कल्याण से होनेवाले खतरे की वजह से स्वास्थ्य सेवा कार्यबल के विस्तार की आवश्यकता है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि इलिनोइस में कोविड-19 की सर्वव्यापी महामारी की प्रतिक्रिया में स्वास्थ्य सेवा में सहायता के लिए कार्यकारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं; और,

चूँकि, मैंने, जेबी प्रिटज़कर, इलिनोइस के राज्यपाल, मार्च 9, 2020 को इलिनोइस राज्य की सभी काउंटीज़ को आपदा क्षेत्र घोषित किया है (“गवर्नर आपदा उद्घोषणा”); और,

चूँकि, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 के सर्वव्यापी महामारी चित्रित किया है; और,

चूँकि इलिनोइस राज्य के लिए यह आवश्यक और उचित है कि इस कोविड-19 के प्रकोप के जवाब में नागरिक जनसंख्या की सुरक्षा और संरक्षण के प्रोत्साहन और सुदृढ़ता के लिए तुरंत कदम उठाए जाएँ, जिसमें स्वास्थ्यसेवा सेवाओं के प्रावधान और बीमा व्याप्ति की सुनिश्चिता के उपाए शामिल हैं यद्यपि जनता और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता पृथकता प्रावधान के अधीन हो सकते हैं; और,

इसलिए, इलिनोइस राज्य के राज्यपाल के रूप में मुझमें निहित शक्तियों द्वारा और इलिनोइस इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट, 20 ILCS 3305 के अनुच्छेद 7(1), 7(8), और 7(12) (*Sections 7(1), 7(8), and 7(12) of the Illinois Emergency Management Agency Act 20 ILCS 3305*) के अनुसरण में, मैं निम्नलिखित आदेश देता हूँ:

अनुच्छेद 1. “टैलीहेल्थ सेवाएँ” स्वास्थ्य देखभाल, मनोचिकित्सा, मानसिक स्वास्थ्य उपचार, पदार्थ उपयोग विकार उपचार, और संबंधित सेवाओं के रोगी को, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो, इलेक्ट्रॉनिक या टेलीफोनिक विधियों के माध्यम से, जैसे कि टेलीफोन (लैंडलाइन या सैल्यूलर), वीडियो प्रौद्योगिकी जोकि आमतौर पर स्मार्ट फोन पर उपलब्ध हो, जैसे कि FaceTime, Facebook Messenger की वीडियो चैट, Google Hangouts की वीडियो, या Skype, और वीडियो कांफ्रेंसिंग, तथा कोई भी प्रणाली द्वारा सेवाएँ प्रदान करें जिसे इलिनोइस इंशोरेंस कोड 215 ILCS 5 के अनुच्छेद 356z.22 (*Section 356z.22 of the Illinois Insurance Code 215 ILCS 5*) के अंतर्गत “टैलीहेल्थ सेवाएँ” के अर्थ के भीतर परिभाषित किया जा सके। “स्वास्थ्य बीमा लाभ” और “स्वास्थ्य बीमा जारीकर्ता” के अर्थ इलिनोइस हैल्थ इंशोरेंस प्रोबेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 215 ILCS 97 के अनुच्छेद 5 में (*Section 5 of Illinois Health Insurance and Accountability Act 215 ILCS 97*) दिए गए अर्थ होने चाहिए।

अनुच्छेद 2. मार्च 19, 2020 से शुरू होकर और गवर्नर आपदा उद्घोषणा की अवधि के दौरान, कोविड-19 सर्वव्यापी महामारी के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और स्वास्थ्य परिस्थितियों के तेजी से उपचार की अनुमति देने के लिए और इलिनोइस राज्य के निवासियों पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए, बीमा विभाग द्वारा विनियमित सभी स्वास्थ्य बीमा

जारीकर्ताओं के लिए प्रत्येक पॉलिसी, अनुबंध, या प्रमाण पत्र के तहत बीमित व्यक्तियों, नामंकित व्यक्तियों, और सदस्यों को, इन-नेटवर्क प्रदाताओं द्वारा चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त, चिकित्सकीय रूप से आवश्यक बीमाकृत सेवाएँ, और उपचार प्रदान करने के लिए सभी टेलीहेल्थ सेवाओं की लागतों को कवर करना आवश्यक है।

जारीकर्ता इस कार्यकारी आदेश या इस कार्यकारी आदेश के तहत इंशोरेंस डिपार्टमेंट के आगामी किसी भी कंपनी बुलेटिन के अनुरूप टेलीहेल्थ सर्विसेज, जिनमें प्रलेखन और अभिलेखारक्षण भी शामिल हैं, के लिए उचित आवश्यकताएं और मापदंड स्थापित कर सकते हैं। एक जारीकर्ता की शर्तें और मापदण्ड डिपार्टमेंट आफ हेल्थकेयर एंड फैमिली सर्विसिस द्वारा 89 Ill. Adm. (Department of Healthcare and Family Services 89 Ill. Adm. Code 140.403(e)) के कोड 140.403(e) के अंतर्गत बनाए गए आपातकालीन नियम में निहित की तुलना में प्रदाताओं, बीमित व्यक्तियों, नामंकित व्यक्तियों, और सदस्यों के लिए अधिक सीमित या कम अनुकूल नहीं हो सकते हैं। जारीकर्ता टेलीहेल्थ सेवाओं के लिए बिलिंग की सुविधा के लिए आवश्यक किसी भी निर्देश की सूचना प्रदाताओं को देंगे।

अनुच्छेद 3. यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वास्थ्य सेवा शीघ्र और कुशलतापूर्वक जनता को प्रदान की जाती है, स्वास्थ्य बीमा जारीकर्ता टेलीहेल्थ सेवाओं के उपयोग की उन समीक्षा शर्तों को प्रयोग में नहीं लाएँगे जोकि अनावश्यक, अनुलिपियन, या अनुचित हैं, और न ही कोई उपचार सीमा लागू करेंगे जो वैयक्तिक रूप से प्रदान की जाने वाली स्वरूप स्वास्थ्य सेवा की शर्तों की तुलना में अधिक कठोर हैं। इन-नेटवर्क प्रदाताओं द्वारा कोविड-19 से संबंधित प्रदान की गई टेलीहेल्थ सेवाओं के लिए, स्वास्थ्य बीमा जारीकर्ता कोई भी पूर्व प्राधिकरण शर्तें लागू नहीं करेंगे।

अनुच्छेद 4. हेल्थ इंशोरेंस जारीकर्ता इन-नेटवर्क प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली टेलीहेल्थ सेवाओं के लिए कोई भी लागत सहभागिता (कोपेमेंट, व्यवकलनीय, या कोइंशोरेंस) नहीं लागू करेंगे। हालाँकि, 26 U.S.C. 223 [26 U.S.C. 223], में दिए गए मानदंडों और परिभाषाओं के अनुसार, यदि "उच्च-कटौती योग्य स्वास्थ्य योजना" में एक नामांकित व्यक्ति उसके कवरेज की शर्तों के तहत लागू कटौतीयोग्य के काबिल नहीं है, तो इस अनुभाग की आवश्यकताओं के अनुसार तब तक जारीकर्ता को टेलीहेल्थ सेवाओं के लिए शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि युनाइटेड स्टेटस टरैज़री द्वारा उस विशेष शुल्क के लिए दी गई संबंधित स्वास्थ्य सेवा को "निरोध्य सेवा" समझा जाता है। हाल ही में संघीय इंटरनल

रैवेनिऊ सर्विस ने माना है कि परीक्षण, उपचार, और कोविड-19 का कोई भी संभावित टीकाकरण "निरोध्य देखभाल" के दायरे में आते हैं।

अनुच्छेद 5. इस कार्यकारी आदेश की कवरेज आवश्यकताओं के अधीन टेलीहेल्थ सेवाएं किसी भी इन-नेटवर्क चिकित्सकों, चिकित्सक सहायकों, ऑप्टोमेट्रिस्ट, उन्नत अभ्यास पंजीकृत नर्सों, नैदानिक मनोविज्ञानिकों, प्रीस्क्राइबिंग मनोवैज्ञानिकों, दंत चिकित्सकों, व्यावसायिक चिकित्सकों, फार्मासिस्टों, भौतिक चिकित्सकों, नैदानिक सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्पीच-लैंगविज पैथालोजिस्टों, ऑडियोलॉजिस्टों, श्रवण यंत्र डिस्पेंसरों, अन्य मानसिक स्वास्थ्य प्रदाताओं, और अन्य पदार्थ विकार उपचार प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जा सकती है जब तक कि वे इलनोइस राज्य में प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंसधारी, पंजीकृत, प्रमाणित या अधिकृत हैं, चाहे कोविड-19 के सर्वव्यापी महामारी से पहले इन-नेटवर्क प्रदाता मूल रूप से किसी भी निर्दिष्ट टेलीहेल्थ नेटवर्क में नीति, संपर्क, या प्रमाण पत्र स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए स्थापित किया गया था या नहीं। लाइसेंस पर आधारित उपचार की कवरेज पर मौजूदा बीमा कानून की आवश्यकताएं लागू होती हैं, उदाहरण के लिए, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकारों के उपचार के लिए कवरेज की आवश्यकताएं इलनोइस इंशोरेंस कोड, 215ILCS 5 के अनुच्छेद 356z.14 (*Section 356z.14 of the Illinois Insurance Code*) में निहित हैं।

अनुच्छेद 6. यह कार्यकारी आदेश 45 C.F.R. 146.145 (b) और 45 C.F.R. 148.220 द्वारा परिभाषित "अपवादित लाभों" पर लागू नहीं होता है, लेकिन यह सीमित दायरे के दंतीय लाभों, सीमित दायरे के दृष्टि लाभों, दीर्घकालिक देखभाल लाभों, केवल दुर्घटनाओं के लिए कवरेज, या केवल विशेष बीमारी या रोग के लिए कवरेज पर लागू होता है। यह कार्यकारी आदेश अल्पकालिक, सीमित-अवधि के स्वास्थ्य बीमा कवरेज, संपूर्ण बीमाकृत छात्र स्वास्थ्य बीमा कवरेज, और ऊपर दिए गए अपवादित लाभों के सिवाय, सभी संपूर्ण बीमाकृत एसोसिएशन स्वास्थ्य योजनाओं पर लागू होता है। स्वास्थ्य बीमा कवरेज की कोई भी नीति, अनुबंध, या प्रमाण पत्र जो इन-नेटवर्क और आउट-ऑफ-नेटवर्क प्रदाताओं के बीच अंतर नहीं करता है, सभी प्रदाताओं को इन-नेटवर्क मानते हुए इस कार्यकारी आदेश के अधीन होगा।

अनुच्छेद 7. डिपार्टमेंट आफ़ इंशोरेंस अतिरिक्त निर्देश प्रदान कर सकता है और कार्यकारी आदेश की शर्तों के अनुरूप नियम लागू कर सकता है।

अनुच्छेद 8. मार्च 19, 2020 से लेकर, गवर्नर आपदा उद्घोषणा की अवधि के दौरान, इलिनोइस के मेंटल हेल्थ एंड डिवैलपमेंटल डिसबीलिटीज़ कॉफ़डैशियेलिटी एक्ट 740 ILCS 110/5

(Section 5 of Mental Health and Developmental Disabilities Confidentiality Act 740 ILCS 110/5) के अनुच्छेद 5 की निम्नलिखित वैधानिक सीमाएं इलिनोइस में मेंटल हेल्थ एंड डिवैलपमेंटल डिसबीलिटीज़ के रोगियों के लिए टेलीहेल्थ सेवाओं के प्रावधान के लिए निलंबित हैं:

1. 740 ILCS 110/5 (a) के अनुसार रिकॉर्ड और संचार प्रकटीकरण पर निषेध।
2. 740 ILCS 110/5 (b) के अनुसार लिखित सहमति का प्रावधान।

अनुच्छेद 9. मेंटल हेल्थ एंड डिवैलपमेंटल डिसबीलिटीज़ कॉन्फ़िडेंशियैलिटी एक्ट 740 ILCS 110 (*Mental Health and Developmental Disabilities Confidentiality Act, 740 ILCS 110*) की आवश्यकताओं के अधीन एक कवरड स्वास्थ्य सेवा प्रदाता और/या कवरड इकाई, जो मेंटल हेल्थ एंड डिवैलपमेंटल डिसबीलिटीज़ रोगियों को टेलीहेल्थ सेवाएं प्रदान करने के लिए ऑडियो या वीडियो संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, गवर्नर आपदा उद्घोषणा की अवधि के दौरान इस कार्यकारी आदेश की धारा 1 के अनुसार गैर-सार्वजनिक रूप से दूरस्थ संचार उत्पाद का उपयोग कर सकते हैं। विवेक का यह प्रयोग टेलीहेल्थ सेवा प्रदाताओं या कवरड इकाईयों के ऊपर, किसी भी कारण से, चाहे यह टेलीहेल्थ सेवा कोविड-19 से संबंधित स्वास्थ्य स्थितियों के निदान और उपचार के बारे में हो, लागू होता है। प्रदाता और कवरड इकाईयाँ, को व्यवहार्य की संभव सीमा तक, रोगियों को सूचित करना चाहिए कि तीसरे पक्ष की ऐपलीकेशंज़ संभावित रूप से गोपनीयता जोखिमों का परिचय देते हैं। प्रदाताओं को ऐसी ऐपलीकेशंज़ का उपयोग करते समय सभी उपलब्ध एन्क्रिप्शन और गोपनीयता मोड को इनेबल करना चाहिए। कवरड स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं या कवरड संस्थाओं को Facebook Live, Twitch, TikTok, और इनसे मिलतीजुलती वीडियो संचार ऐपलीकेशंज़ जो पब्लिक-फ़ेसिंग हैं, टेलीहेल्थ के प्रावधान में उपयोग नहीं की जानी चाहिए।

अनुच्छेद 10. गवर्नर आपदा उद्घोषणा की अवधि के दौरान, 1987 के मैडीकल प्रैक्टिस एक्ट 225 ILCS 60/21 [Medical Practice Act, 225 ILCS 60/21] उन लाइसेंसधारियों, जिनके लाइसेंस तीन साल से कम समय से कालातीत या निष्क्रिय हैं, की लाइसेंस बहाली के लिए निम्नलिखित शर्तें निलंबित की जाती हैं: (1) एक पुनःस्थापन अवधि के दौरान निरंतर शैक्षिक शर्तों को पूरा करने का प्रमाण; और (2) बहाली शुल्क का भुगतान।

Signature

जेबी प्रिटज़कर

मार्च 19, 2020 को राज्यपाल द्वारा जारी किया गया

मार्च 19, 2020 को राज्य के सचिव द्वारा दर्ज किया गया